

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (P-405) अलेसे-I/5649-5656 दिनांक:- 03/03/25

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री पुरुषोत्तम दाधीच, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिनक नं. 9689) कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर को प्रशासनिक कारणों से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये, निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कोषाधिकारी, कोटा किया जाता है।

श्री दाधीच, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (P-405) अलेसे-I/5649-5656 दिनांक:- 03/03/25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोटा।
4. श्री पुरुषोत्तम दाधीच, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. जांच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(क.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-।)